उ0प्र0 आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, सैफई, इटावा की विद्या परिषद (Academic Council) की आठवीं बैठक दिनांक 05.12.2025 का कार्यवृत्त

उ0प्र0 आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, सैफई, इटावा की विद्या परिषद की आठवीं बैठक दिनांक 05.12.2025 को कुलपति, उ0प्र0 आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, सैफई, इटावा/अध्यक्ष विद्या परिषद के सभापतित्व में सम्पन्न हुई। बैठक में निम्नांकित ने प्रतिभाग कियाः–

	अध्यक्ष
1. डॉ0 अजय सिंह, कुलपति, यूपीयूएमएस, सैफई।	
2. डॉ0 आर0के0 दीक्षित, प्रोफेसर–फार्माकोलॉजी विभाग, के0जी0एम0यू0, लखनऊ। (ऑनलाइन प्रतिभाग किया गया)	सदस्य
3. डॉ0 आदेश कुमार, संकायाध्यक्ष–चिकित्सा संकाय, प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष, रेस्पिरेटरी मेडिसिन, यूपीयूएमएस, सैफई।	सदस्य एवं संयोजक
4. श्रीमती बिजी बिजू, संकायाध्यक्ष–नर्सिंग संकाय, यूपीयूएमएस, सैफई।	सदस्य
5. डॉ0 जे0पी0 मथुरिया, संकायाध्यक्ष–पैरामेडिकल विज्ञान संकाय एवं विभागाध्यक्ष, मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी, यूपीयूएमएस, सैफई।	सदस्य
6. डॉ0 प्रवीण कुमार, संकायाध्यक्ष–फार्मेसी संकाय, यूपीयूएमएस, सैफई।	सदस्य
7. डॉ0 अतुल कुमार सिंह, संकायाध्यक्ष–दन्त विज्ञान संकाय, यूपीयूएमएस, सैफई।	सदस्य
8. डॉ0 रमाकान्त यादव, प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष, न्यूरोलॉजी, यूपीयूएमएस, सैफई।	सदस्य
9. डॉ0 कीर्ति जैसवाल, प्रोफेसर एवं संकायाध्यक्ष छात्र कल्याण, यूपीयूएमएस, सैफई।	सदस्य
10. डॉ0 आलोक दीक्षित, प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष, फार्माकोलाजी , परीक्षा नियंत्रक, यूपीयूएमएस, सैफई।	सदस्य
11. डॉ0 अमित कांत सिंह, प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष, फिजियोलॉजी, यूपीयूएमएस, सैफई।	सदस्य
12. डॉ0 आदिल रहमान, प्रोफेसर जू0 ग्रेड एवं विभागाध्यक्ष, बायोकेमिस्ट्री, यूपीयूएमएस, सैफई।	सदस्य
13. डॉ0 राजेश कुमार वर्मा, प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष, माइक्रोबायोलॉजी, यूपीयूएमएस, सैफई।	सदस्य
14. डॉ0 पुष्पेन्द्र सिंह, प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष, फॉरेन्सिक मेडिसिन, यूपीयूएमएस, सैफई।	सदस्य
15. डॉ0 पी0के0 जैन, प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष, कम्युनिटी मेडिसिन, यूपीयूएमएस, सैफई।	सदस्य
16. डॉ0 मनोज कुमार, प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष, जनरल मेडिसिन, यूपीयूएमएस, सैफई।	सदस्य
17. डॉ0 ए0के0 मिश्रा, प्रोफेसर जू0 ग्रेड एवं विभागाध्यक्ष, साइकेट्री, यूपीयूएमएस, सैफई।	सदस्य
18. डॉ0 दिनेश कुमार, प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष, पीडियाट्रिक्स, यूपीयूएमएस, सैफई।	सदस्य
19. डॉ0 एस0पी0 सिंह, प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष, जनरल सर्जरी, यूपीयूएमएस, सैफई।	सदस्य
20. डॉ0 सुनील कुमार शिवपल्टन, प्रोफसर एवं विभागाध्यक्ष, ऑर्थोपेडिक्स, यूपीयूएमएस, सैफई।	सदस्य
21. डॉ0 रवि रंजन, प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष, ऑफ्थलमोलॉजी, यूपीयूएमएस, सैफई।	सदस्य
22. डॉ0 जितेन्द्र प्रताप सिंह चौहान, प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष, ई0एन0टी0, यूपीयूएमएस, सैफई।	सदस्य
23. डॉ0 कल्पना कुमारी, प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष, आब्स एण्ड गायनी, यूपीयूएमएस, सैफई।	सदस्य
24. डॉ0 ऊषा शुक्ला, प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष, एनेस्थीसिया, यूपीयूएमएस, सैफई।	सदस्य
25. डॉ0 कैलाश कुमार मित्तल, प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष, रेडिएशन ऑकोलॉजी, यूपीयूएमएस, सैफई।	सदस्य
26. डॉ0 अतुल सक्सेना, एसो0 प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष, प्लास्टिक सर्जरी, यूपीयूएमएस, सैफई।	सदस्य
27. डॉ0 सुभाष चन्द्रा, असिस्टेंट प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष, कार्डियोलॉजी, यूपीयूएमएस, सैफई।	सदस्य
28. डॉ0 राजेश कुमार ठाकुर, प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष, पेरियोडोंटोलॉजी, यूपीयूएमएस, सैफई।	सदस्य
29. डा0 एम0 ए0 खान, प्रोफेसर जू0 ग्रेड एवं विभागाध्यक्ष, यूरोलाजी, यूपीयूएमएस, सैफई।	सदस्य
30. डा0 आदित्य शिवहरे, असिस्टेन्ट प्रोफेसर, ट्रान्सफ्यूजन मेडिसिन, यूपीयूएमएस, सैफई।	सदस्य
31. डा0 अमित सिंह, प्रोफेसर, माईकोबायोलाजी, यूपीयूएमएस, सैफई।	सदस्य
32. डा0 सविता अग्रवाल, प्रोफेसर एवं इन्चार्ज रिसर्च सेल, यूपीयूएमएस, सैफई।	सदस्य
33. डा0 सन्दीप कुमार, प्रोफेसर, कम्यूनिटी मेडिसिन, यूपीयूएमएस, सैफई।	सदस्य
34. डा0 चन्द्रवीर सिंह, प्रोफेसर, फार्माकोलाजी, यूपीयूएमएस, सैफई।	सदस्य
35. डॉ0 आशा पाठक, प्रोफेसर, फार्माकोलॉजी, यूपीयूएमएस, सैफई।	सदस्य
36. डा0 सुशील कुमार शुक्ला, प्रोफेसर, कम्यूनिटी मेडिसिन, यूपीयूएमएस, सैफई।	सदस्य
37. डा0 विद्या रानी प्रोफेसर, कम्यूनिटी मेडिसिन, यूपीयूएमएस, सैफई।	सदस्य
38. डा0 नरेश पाल सिंह, प्रोफेसर, कम्यूनिटी मेडिसिन, यूपीयूएमएस, सैफई।	सदस्य
39. डा0 वैभव कान्ती, प्रोफेसर, आब्स एण्ड गायनी, यूपीयूएमएस, सैफई।	सदस्य
40. डॉ0 अनामिका सिंह, प्रोफेसर , फिजियोलॉजी, यूपीयूएमएस, सैफई।	सदस्य
41. डा0 विपिन कुमार यादव, प्रोफेसर, पेरियोडोन्टोलाजी, यूपीयूएमएस, सैफई।	सदस्य
42. डॉ0 ग्रन्थ कुमार, प्रोफेसर, जनरल मेडिसिन, यूपीयूएमएस, सैफई।	सदस्य

Scanned with OKEN Scanner

43. डा0 सैम्बियन एन0, एसोसिएट प्रोफेसर, फैकेल्टी आफ नर्सिंग, यूपीयूएमएस, सैफई।	सदस्य
44. डॉ0 सुगन्धी शर्मा, असिस्टेन्ट प्रोफेसर, इन्चार्ज केन्द्रीय पुस्तकालय, यूपीयूएमएस, सैफई।	सदस्य
45. डॉ0 संजय सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर, पी0एम0आर, यूपीयूएमएस, सैफई।	सदस्य
46. डॉ0 भगत सिंह, कार्यवाहक एसो0 संकायाध्यक्ष पैरामेडिकल विज्ञान संकाय, यूपीयूएमएस, सैफई।	सदस्य
47. डॉ0 सर्वेश कुमार गुप्ता, एसो0 प्रोफेसर, पीडियाट्रिक सर्जरी, यूपीयूएमएस, सैफई।	सदस्य
48. डॉ0 संजीव कुमार सिंह, प्रोफेसर एवं कार्यवाहक विभागाध्यक्ष, पैथोलॉजी, यूपीयूएमएस, सैफई।	सदस्य
49. डॉ0 श्वेता एस0 कुमार, प्रोफेसर जू0ग्रेड एवं विभागाध्यक्ष, डर्मेटोलॉजी, यूपीयूएमएस, सैफई।	सदस्य
50. डॉ0 विशाल रमेश जसूजा, प्रोफेसर जू0ग्रेड, एनॉटमी विभाग, यूपीयूएमएस, सैफई।	सदस्य
51. डॉ0 अमित कुमार सिंह, प्रोफेसर जू0ग्रेड, एनेस्थीसिया विभाग, यूपीयूएमएस, सैफई।	सदस्य
52. डॉ0 सजग कुमार गुप्ता, असिस्टेंट प्रोफेसर, न्यूरोसर्जरी विभाग, यूपीयूएमएस, सैफई।	सदस्य
53. डॉ0 रीना शर्मा,प्रोफेसर एवं कार्यवाहक एसो0 संकायाध्यक्ष चिकित्सा संकाय, यूपीयूएमएस, सैफई।	सदस्य
54. डॉ0 अमित सिंह, प्रो0 एवं विभागाध्यक्ष सी0वी0टी0एस0/चिकित्सा अधीक्षक, यूपीयूएमएस, सैफई।	सदस्य

इस प्रकार विश्वविद्यालय की विद्या परिषद की आठवीं बैठक दिनांक 05.12.2025 में कुल 54 सदस्य उपस्थित रहे (उपस्थिति पत्रक संलग्न)। गणपूर्ति होने पर सर्वप्रथम कुलपति, उ0प्र0 आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, सैफई, इटावा/अध्यक्ष–विद्या परिषद द्वारा विद्या परिषद के सम्मानित सदस्यों का स्वागत किया गया। तदोपरान्त संयोजक–विद्या परिषद/संकायाध्यक्ष चिकित्सा संकाय एवं सम्बन्धित संकायाध्यक्ष, उ0प्र0 आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय द्वारा अध्यक्ष–विद्या परिषद की अनुमति से विद्या परिषद के समक्ष बिन्दुवार एजेण्डा प्रस्तुत किये गये।

बैठक में एजेण्डावार प्रस्तावों पर विचार–विमर्श उपरान्त निम्नांकित निर्णय लिया गया:–

एजेण्डा बिन्दु	एजेण्डा, प्रस्ताव एवं निर्णय
8–(1)	**विद्या परिषद की सातवीं बैठक दिनांक 25.09.2025 के कार्यवृत्त की पुष्टि** **प्रस्ताव** – उ0प्र0 आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, सैफई, इटावा की विद्या परिषद की सातवीं बैठक दिनांक 25.09.2025 के कार्यवृत्त की पुष्टि करना चाहें।
निर्णयः–	विद्या परिषद की सातवीं बैठक के कार्यवृत्त पर सैद्धान्तिक रूप से अनुमोदन प्रदान किया गया।
8–(2)	**विद्या परिषद की सातवीं बैठक दिनांक 25.09.2025 में लिये गये निर्णयों की अनुपालन आख्या** **प्रस्ताव** – कृपया विद्या परिषद उपरोक्त अनुपालन आख्या से अवगत होना चाहें।
निर्णयः–	विद्या परिषद की सातवीं बैठक के निर्णयों की अनुपालन आख्या से विद्या परिषद अवगत हुई तथा एजेण्डा की अनुपालन आख्या के विषय में निम्नलिखित निर्देश दिये गयेः– • एजेण्डा बिन्दु 7–(3.4) के संबंध में विद्या परिषद द्वारा विभागाध्यक्ष माइक्रोबायोलॉजी विभाग को एक माह में कार्य पूर्ण करने हेतु निर्देशित किया गया। • एजेण्डा बिन्दु 7–(3.5) के संबंध में विद्या परिषद द्वारा 15 दिवसों में कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिये गये। • एजेण्डा बिन्दु 7–(6.1) के संबंध में विद्या परिषद द्वारा उक्त प्रस्ताव को आगामी कार्यपरिषद में रखे जाने के निर्देश दिये गये। • एजेण्डा बिन्दु 7–(6.2) के संबंध में विद्या परिषद द्वारा प्रकरण को स्टेट मेडिकल फैकल्टी को प्रेषित किए जाने के निर्देश दिये गये। • एजेण्डा बिन्दु 7–(10.8) के संबंध में विद्या परिषद द्वारा उक्त प्रकरण में कुल टीचिंग आवर्स एवं करीकुलम उपलब्ध कराये जाने हेतु निर्देश दिये गये।
8–(3.1)	**डॉ0 अतुल सक्सेना, एसोसिएट प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष, प्लास्टिक सर्जरी विभाग द्वारा Short term training Course in Department of Plastic and Reconstructive Surgery of National Center for Global Health (NCGM) and Medicine of Japan Institute for Health Secruity (JIHS), Tokyo, Japan as a Observership में प्रतिभाग करने के साथ–साथ अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने के सम्बन्ध में।** **प्रस्तावनाः–** डॉ0 अतुल सक्सेना, एसोसिएट प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष, प्लास्टिक सर्जरी विभाग द्वारा Short term training Course in Department of Plastic and Reconstructive Surgery of National Center for Global Health (NCGM) and Medicine of Japan Institute for Health Secruity (JIHS), Tokyo, Japan में As a Observership हेतु विश्वविद्यालय के व्यय

पर प्रतिभाग करने के साथ–साथ अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने के सम्बन्ध में निर्णय लिया जाना है।

पृष्ठभूमि:– डॉ0 अतुल सक्सेना, एसो0 प्रोफेसर, एवं विभागाध्यक्ष, प्लास्टिक सर्जरी विभाग द्वारा Short term training course हेतु Department of Plastic and Reconstructive Surgery of Naitonal Center for Global Health (NCGM) and Medicine of Japnan Institute for Health Security (JIHS) Tokyo, Janpan में विश्वविद्यालय के व्यय पर प्रतिभाग करने के साथ–साथ अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किये जाने का अनुरोध किया है।

नियमः– उल्लेखनीय है कि विदेश यात्रा के सम्बन्ध में एस0जी0पी0जी0आई0, लखनऊ द्वारा जारी कार्यालय आदेश सं0 PGI/ER/ACAD/1745/2016 दिनांक 16.04.2016 में निम्नवत् व्यवस्था अपनायी गयी हैं: –

B. Abroad, other than SAARC Countries

The Director may, at his discretion, permit a member of faculty to participate in scientific meetings, conferences/ congress/ updates/ symposia/ seminars/ workshops/ teaching courses/master class/ CMEs/short-term trainings or courses or programs (not exceeding 14 days for each event) on duty terms abroad (other than SAARC countries) with or without any financial commitment by the institute. However, registration fee, air-fare, visa fee, hotel accommodation charges, per-diem, as per rules, and actual medical insurance premium (subject to a ceiling of Rs. 3000 per visit) will be provided to present scientific papers, or to chair/co-chair a scientific session/panelist/convening a panal discussion/meet the professor session/judging a paper or poster session or to deliver a lecture as an invited speaker, as faculty/ participant in workshop/ teaching courses/ masterclass/ CMSs/short-term training courses or programs/meeting of academic working groups and for availing training in a specified course or program offered by universities. Application from faculty members for such purpose will be considered provided that:

i. In case of financial support from the Institute, he/she should have completed probation period as a faculty member and should have at least one year's service left before commencement of the event.
ii. Entitlement for financial support shall be: Assistant Professor or Associate Professor—once in two financial years, and Additional Professor or Professor—once in every financial year.
iii. Where a scientific paper is to be presented, it must be the outcome of research conducted at the Institute or a collaborative research work, and should have been accepted for presentation. For chairing/co-chairing a scientific session or to deliver a lecture as an invited speaker or faculty for workshop, he/she should have been invited for the same.
iv. He/she will be required to submit participation certificate and a report within a period of 15 days of return.
v. In case of training program/courses, the ivitation letter should be addressed to the Director, SGPGI or the application to attend such training/course should be routed through proper channel.

यहाँ यह भी अवगत कराना है कि डॉ0 अतुल सक्सेना द्वारा प्रस्तुत अनुरोध पत्र में उक्त कोर्स हेतु Invitation letter में Observership का उल्लेख है, परन्तु एस0जी0पी0जी0आई0, लखनऊ द्वारा जारी उक्त कार्यालय आदेश सं0 PGI/ER/ACAD/1745/2016 दिनांक 16.04.2016 में Observership का उल्लेख नहीं किया गया है।

<u>प्रस्ताव का आधारः</u>–

डॉ0 अतुल सक्सेना, एसोसिएट प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष, प्लास्टिक सर्जरी विभाग द्वारा Short term training Course in Department of Plastic and Reconstructive Surgery of National Center for Global Health (NCGM) and Medicine of Japan Institute for Health Secruity (JIHS), Tokyo, Japan में As a Observership हेतु विश्वविद्यालय के व्यय पर प्रतिभाग करने के साथ–साथ अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने के सम्बन्ध में विद्या परिषद के स्तर से निर्णय लिये जाने की आवश्यकता है।

प्रस्ताव पर अपेक्षित अनुमोदनः–

डॉ0 अतुल सक्सेना, एसोसिएट प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष, प्लास्टिक सर्जरी विभाग द्वारा Short term training Course in Department of Plastic and Reconstructive Surgery of

Scanned with OKEN Scanner

	National Center for Global Health (NCGM) and Medicine of Japan Institute for Health Secruity (JIHS), Tokyo, Japan में As a Observership हेतु विश्वविद्यालय के व्यय पर प्रतिभाग करने के साथ–साथ अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने के सम्बन्ध में कृपया विद्या परिषद निर्णय लेना चाहें।
निर्णयः–	विद्या परिषद द्वारा विचार विमर्श किया गया तथा डॉ0 अतुल सक्सेना को पुनः आवेदन करने हेतु निर्देश दिए गए साथ ही साथ एस0जी0पी0जी0आई0 की उपरोक्त गाइड लाईन में विहित व्यवस्थानुसार अधिकतम 14 दिवसों का कार्यावधि अवकाश स्वीकृत किये जाने के साथ उक्त दिवस का ही वित्तीय लाभ अनुमन्य किया जाये। 14 दिवसों का कार्यावधि अवकाश के अतिरिक्त यदि अवकाश का उपभोग किया जाता है तो वे अपनी अर्जित अवकाश एवं स्वयं के व्यय पर उक्त दिवसों का उपभोग करेंगे, के प्रस्ताव पर सैद्धान्तिक रूप से सहमति प्रदान की गई।
8–(3.2)	**Creation of 02 Non-PG JR posts specifically for Palliative Medicine, or earmarking 02 seats from the existing Non-PG JR pool allotted to DGME under bond obligations, since no regular vacant JR posts exist.** **PROPOSAL:-** Creation of 02 Non-PG JR posts specifically for Palliative Medicine, or earmarking 02 seats from the existing Non-PG JR pool allotted to DGME under bond obligations, since no regular vacant JR posts exist. **BACKGROUND:-** • The NMC CBME Guidelines (2024) mandate that every Indian Medical Graduate must be trained to provide *preventive, promotive, curative, palliative, and holistic* care (Circular No. D-11011/500/2024-Academic Cell (e-8284443), dated 12.09.2024). • Implementation of palliative competencies requires trained junior doctors for symptom management, clinical documentation, communication, counselling, and continuity-of-care services. • National institutions (e.g., Tata Memorial Centre, Dr. B. Borooah Cancer Institute) routinely appoint MBBS/BDS candidates with palliative-care certification as Medical Officers / Assistant Physicians to meet service and training requirements. **REGULATIONS:-** **NMC CBME Mandate:** • Palliative care is listed as a core competency and clinician responsibility for IMG training. • Structured clinical exposure is required for undergraduate and postgraduate teaching programmes. **National Precedent:** • Multiple apex centres employ Non-PG MBBS/BDS graduates with palliative-care certification in designated clinical posts supporting palliative units. **BASIS OF PROPOSAL:-** The requested posts will: • Fill essential manpower gaps due to the scarcity of Palliative Medicine specialists. • Provide continuous clinical coverage, symptom management, supportive care, counselling, and oral-care assistance. • Strengthen NMC-mandated training requirements for MBBS, interns, and MD/DNB trainees. • Align UPUMS with national best practices by enabling certified Non-PG clinicians to support palliative services. **Eligibility (Proposed):** • MBBS or BDS with valid registration • Certification in Palliative Care (e.g., CCPM / PG Certificate / Fellowship / CCEPC) **or** minimum 6-month documented experience in palliative/oncology/ supportive care. **APPROVAL REQUESTED:-** **In view of the above, it is kindly requested that:**

Scanned with OKEN Scanner

	A. Two (02) Non-PG JR posts be created for "Assistant Physician, Palliative Medicine", **OR** **B. Until creation is approved, two (02) posts be earmarked from the Non-PG JR seats currently allocated to DGME for bond fulfilment, to support essential palliative clinical services.**
निर्णयः–	विद्या परिषद द्वारा निर्देश दिये गये कि अतिरिक्त पद सृजित नहीं किये जायेंगे, क्योंकि यह एक विभाग नहीं मात्र यूनिट है। विद्या परिषद द्वारा मुख्य चिकित्सा अधीक्षक एवं चिकित्सा अधीक्षक को नॉन पी0जी0 जे0आर के रिक्त पदों के सापेक्ष तैनात करने हेतु आवश्यक कार्यवाही किये जाने पर सैद्धान्तिक रूप से सहमति दी गई।
8–(3.3)	**Creation and operational allocation of Four (04) Senior Resident (SR) seats for the newly established Palliative Medicine Unit to ensure compliance with NMC-mandated competencies and to support clinical and academic functions.** **<u>Proposal:-</u>** Creation and operational allocation of Four (04) Senior Resident (SR) seats for the newly established Palliative Medicine Unit to ensure compliance with NMC-mandated competencies and to support clinical and academic functions. **<u>Background:-</u>** The Palliative Medicine Unit has been established vide Letter No. 4083/UPUMS/P.V.C.(2427)/25-26 dated 29.11.2025. As an clinical and academic unit, essential patient-care services and skill-based teaching Senior Residents are required. **<u>Regulations (NMC & NBEMS):-</u>** Both National Medical Commission (NMC) and National Board of Examinations in Medical Sciences (NBEMS) recognise multiple feeder specialties as eligible for appointments/training in Palliative Medicine. Eligible PG qualifications include: • NMC: MD/DNB Palliative Medicine, Anaesthesiology, General Medicine, Radiation Oncology, Geriatric Medicine • NBEMS: MD Palliative Medicine; and transition specialties—General Medicine, General Surgery, Paediatrics, Anaesthesiology, Radiotherapy, Geriatric Medicine, Psychiatry, Family Medicine Thus, a sufficient pool of qualified candidates is available for appointment. **<u>Basis of Proposal:-</u>** • Mandatory NMC competencies require adequate SR staffing for training and service delivery. • The Unit must function independently to meet institutional, regulatory, and patient-care expectations. • SR manpower is essential to initiate outpatient, inpatient, pain management, and end-of-life care services. **<u>Approval Requested:-</u>** **In view of the above, it is kindly requested that:** **1. Four (04) Senior Resident seats be created for the Palliative Medicine Unit.** **2. Until formal creation, Four (04) SR seats be earmarked from the existing vacant Senior Resident pool of the institution to ensure commencement of services and may be floated in upcoming advertisement.**
निर्णयः–	विद्या परिषद द्वारा निर्देश दिये गये कि अतिरिक्त पद सृजित नहीं किये जायेंगे, क्योंकि यह एक विभाग नहीं मात्र यूनिट है। अन्य विभागों में सृजित सीनियर रेजिडेंट के पदों के सापेक्ष चयन प्रक्रिया पूर्ण करते हुए कार्यवाही मुख्य चिकित्सा अधीक्षक एवं चिकित्सा अघीक्षक के द्वारा की जाए।
8–(3.4)	**ई.एन.टी. विभाग में DNB Super Speciality Course in Rhinology प्रारम्भ किए जाने के संबंध में।** **<u>प्रस्तावना:–</u>** राइनोलॉजी आज ई0एन0टी0 की सर्वाधिक प्रगतिशील सुपर स्पेशियलिटी में से एक है, जिसमें

	एंडोस्कोपिक साइनस सर्जरी, स्कल बेस सर्जरी तथा एडवांस्ड नेविगेशन–गाइडेड प्रक्रियाओं का व्यापक उपयोग किया जाता है। उ0प्र0 आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, सैफई, इटावा का ई0एन0टी0 विभाग वर्तमान में पर्याप्त क्लिनिकल लोड, आधुनिक उपकरणों, प्रशिक्षित फैकल्टी और समृद्ध शिक्षण अवसंरचना के साथ डी0एन0बी0 सुपर स्पेशियलिटी पाठ्यक्रम संचालित करने हेतु पूर्णतः सक्षम है। **पृष्ठभूमिः–** विभाग में प्रतिवर्ष बड़ी संख्या में CRS, AR, Sinonasal Tumours, Skull Base Pathologies तथा Revision ESS के केस उपलब्ध होते हैं। विभाग में कार्यरत फैकल्टी को राइनोलॉजी में राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त है। विभाग में वर्तमान में चल रहे पी0जी0 पाठ्यक्रम (एम0एस0 ई0एन0टी0) के साथ उन्नत प्रशिक्षण हेतु एक सुपर स्पेशियलिटी पाठ्यक्रम प्रारम्भ करना समयोचित एवं आवश्यक है। **नियम/पूर्व कार्यवाही/निष्कर्ष/निर्णयः–** NBE द्वारा निर्धारित DNB- SS (Rhinology) के मानकों– फैकल्टी पात्रता, क्लिनिकल सामग्री, उपकरण, ऑपरेशन थियेटर सुविधाएँ, आपातकालीन सेवाएँ ई0एन0टी0 विभाग में उपलब्ध हैं। विभागीय बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि DNB- SS (Rhinology) पाठ्यक्रम प्रारम्भ करने हेतु प्रस्ताव विद्या परिषद को प्रेषित किया जाए। **प्रस्ताव का आधारः–** • उच्च रोगभार और विविधता से प्रशिक्षण की गुणवत्ता सुनिश्चित। • अंतरराष्ट्रीय स्तर की आधुनिक एंडोस्कोपी सेट–अप, माइक्रोडिबारिंग सिस्टम, नेविगेशन सर्जरी सहित सभी सुविधाएँ उपलब्ध। • सुपर स्पेशियलिटी प्रशिक्षित ई0एन0टी0 विशेषज्ञों की राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ती आवश्यकता। • यह कोर्स विश्वविद्यालय की अकादमिक प्रतिष्ठा और क्वालिटी एजुकेशन को उच्च स्तर पर ले जायेगा। **प्रस्तावः–** • **ई0एन0टी0 विभाग में सत्र 2026–27 से DNB- Super Speciality Course in Rhinology प्रारम्भ किये जाने हेतु अनुमति।** • **प्रस्ताव से संबंधित वित्तीय एवं प्रशासनिक अनुमति।** **प्रस्ताव पर अपेक्षित अनुमोदनः** उक्त प्रस्ताव पर विद्या परिषद अनुमोदन प्रदान करना चाहें।
निर्णयः–	विद्या परिषद द्वारा सहमति व्यक्त करते हुए प्रकरण को नेशनल बोर्ड ऑफ इग्जामिजेशन (एन0बी0ई) को अग्रसारित करने के निर्देश दिए गये।
8–(3.5)	**पी0एम0आर0 विभाग में डी0एन0बी0– पी0एम0आर0 पाठ्यक्रम प्रारम्भ करने के संबंध में।** **प्रस्तावनाः–** पी0एम0आर0 विभाग संस्थान का एक महत्व पूर्ण विभाग है, जिसके माध्यम से दिव्यांगता–निवारण, कार्यात्मक पुनर्वास तथा समग्र रोगी–देखभाल से संबधित उच्चस्तरीय सेवाएँ प्रदान की जाती हैं। विभाग की क्षमताओं, उपलब्ध संसाधनों तथा भविष्य की शैक्षणिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए डी0एन0बी0 पी0एम0आर0 कोर्स प्रारम्भ किया जाना चिकित्सकीय शिक्षा के उन्नयन, विषेशज्ञ चिकित्सकों के निर्माण तथा संस्थान की शैक्षणिक प्रतिष्ठा को सुदृढ़ करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम होगा। **पृष्ठभूमिः–** • डी0एन0बी0–PMR पाठ्यक्रम प्रारम्भ करने हेतु नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन इन मेडिकल सांइसेज (NBEMS), द्वारा जारी मानकों एवं विनियमों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा। • विभाग में संकाय, इंफ्रास्ट्रक्चर, क्लिनिकल सामग्री तथा शिक्षण–प्रशिक्षण सुविधाएँ NBEMS की निर्धारित पात्रता शर्तो के अनुरूप रखी जाएँगी। **नियम/कृत कार्यवाही/निष्कर्ष/निर्णयः–** पी0एम0आर0 विभाग में वर्तमान में रोगियों के पुनर्वास, थेरेपी तथा क्लिनिकल प्रबंधन से संबंधित उच्च स्तरीय सेवाएँ प्रदान की जा रही हैं। विभाग में प्रशिक्षित विशेषज्ञों, आवश्यक

Scanned with OKEN Scanner

	तकनीकी स्टाफ, उपचारात्मक सुविधाओं तथा आधुनिक उपकरणों की उपलब्धता के कारण विभाग की कार्य क्षमता निरंतर सुदृढ़ हुई है। चिकित्सा शिक्षा में विशेषज्ञ पुनर्वास चिकित्सकों की बढ़ती आवश्यकता तथा NBEMS विशेषज्ञ द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप उन्नत शैक्षणिक कार्यक्रमों के विस्तार की आवश्यकताओं को देखते हुए संस्थान में डी0एन0बी0–PMR पाठ्यक्रम प्रारम्भ करने का प्रस्ताव महत्वपूर्ण हो गया है। वर्तमान परिस्थितियों में विभाग की संरचनात्मक क्षमता, क्लिनिकल लोड, शिक्षण–सम्बन्धी संसाधन एवं योग्य संकाय उपलब्ध होने के कारण डी0एन0बी0 पाठ्यक्रम प्रारम्भ करने की दिशा में आवश्यक प्रकियाएं प्रारम्भ की जा सकती हैं। **प्रस्ताव का आधारः–** पी0एम0आर0 विभाग द्वारा वर्तमान में उपलब्ध विशेषज्ञ सेवाएँ, आधुनिक उपचार सुविधाएँ पर्याप्त क्लिनिकल, सामग्री, प्रशिक्षित संकाय तथा विकसित संरचना यह दर्शाती है कि विभाग शैक्षणिक उन्नयन के लिए पूर्णतः सक्षम है। चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में पुनर्वास विशेषज्ञों की बढती राष्ट्रीय आवश्यकता तथा मरीजों की संख्या में निरंतर वृद्धि को ध्यान में रखते हुए डी0एन0बी0– PMR पाठ्यक्रम प्रारम्भ करना अत्यंत आवश्यक एवं समयानुकूल है। इससे संस्थान को विशेषज्ञ चिकित्सकों के निर्माण, अनुसंधान को बढ़ावा देने तथा पुनर्वास सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार करने में व्यापक लाभ प्राप्त होगा। **प्रस्तावः–** • **कोर्स प्रारम्भ हेतु आवश्यक NBEMS को आवेदन प्रस्ताव प्रेषित करने की अनुमति।** • **विभाग द्वारा तैयार किए जाने वाले कोर्स ढ़ाँचे (SOP) तथा संलग्न दस्तावेजों को अनुमोदन।** • **प्रस्ताव से संबंधित वित्तीय एवं प्रशासनिक अनुमति।** **प्रस्ताव पर अपेक्षित अनुमोदनः** उक्त प्रस्ताव पर विद्या परिषद अनुमोदन प्रदान करना चाहें।
निर्णयः–	विद्या परिषद द्वारा सैद्धान्तिक रूप से अनुमोदन प्रदान किया गया।
8–(3.6)	**बायोकमेस्ट्री, आर्थोपेडिक्स एवं रेस्पिरेटरी मेडिसिन विभाग में परीक्षाओं को सम्पन्न कराये जाने हेतु External/ Internal परीक्षकों के पैनल का अनुमोदन।** **प्रस्तावनाः** बायोकमेस्ट्री विभाग के यू0जी0 एवं पी0जी0 तथा रेस्पिरेटरी मेडिसिन विभाग के पी0जी0 पाठ्यकम हेतु External Examiners/ Internal Examiners की विभागवार सूची एन0एम0सी0 मानकों के अनुरू तैयार कर अनुमोदन हेतु विद्या परिषद के समक्ष प्रस्तुत है। **पृष्ठभूमिः** उक्त हेतु कतिपय परीक्षकों के परीक्षा सम्पन्न कराने हेतु मना करने या कुछ परीक्षक का स्थानान्तरण होने के कारण परीक्षा सम्पन्न कराने को दृष्टिगत रखते हुए पूर्व से अनुमोदित पैनल में बदलाव की आवश्यकता को लेकर परीक्षकों का नवीन पैनल विभागाध्यक्षों के स्तर से एन0एम0सी0 की गाईडलाइन्स के अनुसार तैयार किया गया है। **नियम/कृत कार्यवाही/निष्कर्ष/निर्णयः–** चिकित्सा संकाय के बायोकमेस्ट्री एव रेस्पिरेटरी मेडिसिन विभाग द्वारा बोर्ड आफ स्टडीज की बैठक कराते हुए एम0बी0बी0एस0, एम0डी0/एम0एस0 पाठ्यक्रमों की परीक्षाओं हेतु परीक्षकों का पैनल उपलब्ध कराया गया है। **प्रस्ताव का आधारः** विश्वविद्यालय अधिनियम–2015 के अन्तर्गत स्थापित बोर्ड आफ स्टडीज की संस्तुतियों को विद्या परिषद में अनुमोदन किए जाने की व्यवस्था निहित है। **प्रस्तावः** विद्या परिषद की सातवीं बैठक दिनांक 25.09.2025 के एजेण्डा बिन्दु संख्या 7–(3.3) में लिए गये निर्णयों के अनुसार बायोकमेस्ट्री एवं रेस्पिरेटरी मेडिसिन विभाग के परीक्षकों का पैनल अनुमोदन हेतु प्रस्तुत है। **प्रस्ताव पर अपेक्षित अनुमोदनः** उक्त प्रस्ताव पर विद्या परिषद अनुमोदन प्रदान करना चाहें।
निर्णयः–	विद्या परिषद द्वारा परीक्षकों के पैनल पर सैद्धान्तिक रूप से अनुमोदन प्रदान किया गया।
8–(3.7)	**Proposal for Assignment of Three Faculty Members to Pulmonary Medicine & Critical Care for Initiating DM Pulmonary & Critical Care Medicine (DM PCCM) Programme** **PROPOSAL:-** To assign **03 faculty positions** (Professor, Additional Professor /Associate

R2 dh

Scanned with OKEN Scanner

professor, Assistant Professor) from the current Department of Respiratory Medicine to Pulmonary Medicine & Critical Care, and to permit counting of their past experience for DM PCCM eligibility.

BACKGROUND:-

- Since **2006**, UPUMS has been functioning under the academic identity of **Department of Pulmonary Medicine**, conducting OPD, IPD, ICU, pulmonary interventions, and teaching activities.
- Around **four years ago**, the department title was changed to **Respiratory Medicine**, but academic functions, clinical services and scope remained unchanged.
- The **NMC PG Regulations** now recognise **MD/DNB Respiratory Medicine, MD/DNB General Medicine, MD/DNB Paediatrics** as eligible qualifications for faculty in **DM Pulmonary & Critical Care Medicine**.

REGULATIONS (NMC GAZETTE EXTRACT – MANDATORY BASIS)

As per **NMC Postgraduate Medical Education Regulations (2023–24)**:

Faculty Eligibility (Super-specialty – DM/MCh)

- **Professor**: 3 years as Associate Professor + 2 research papers + BCMR course
- **Associate Professor**: 2 years as Assistant Professor + 2 publications + BCMR course
- **Assistant Professor**: BCMR course

Specialty Qualification Eligibility – Transition Period (NMC Gazette)

For **Pulmonary Medicine (DM PCCM):**

- **DM (Pulmonary Medicine)**
- OR **MD/DNB Respiratory Medicine**
- OR **MD/DNB General Medicine**
- OR **MD/DNB Paediatrics**

This provides full NMC support for redeployment from Respiratory Medicine to PCCM.

BASIS OF PROPOSAL-

- The department has delivered full **Pulmonary Medicine services since 18 years**, including bronchoscopy, non-invasive and invasive ventilation, respiratory ICU, and critical care.
- Faculty have **continuous academic experience** in Pulmonary Medicine despite the nominal renaming to Respiratory Medicine.
- NMC explicitly permits **experience counting** from broad-specialty departments functioning in the same clinical domain.
- Assigning faculty is essential to apply for **DM PCCM course recognition** in the upcoming NMC academic cycle.

APPROVAL REQUESTED

The following approvals are requested:

1. **Assignment of 03 faculty members** (Professor, Additional Professor/ Associate Professor , Assistant Professor) from Respiratory Medicine to the proposed Pulmonary Medicine & Critical Care unit.
2. **Approval to count past teaching and clinical experience** of these faculty members during **2006–2016**when the department functioned as **Pulmonary Medicine** for academic and regulatory purposes.
3. Permission to initiate the **DM Pulmonary & Critical Care Medicine** application process to NMC in the next permissible window.

निर्णयः—	विद्या परिषद द्वारा निर्देश दिये गये कि विज्ञापित पदों के सापेक्ष आवेदन कर भर्ती की प्रक्रिया पूर्ण करते हुए एन0एम0सी0 के नियमानुसार कार्यवाही किए जाने पर सहमति व्यक्त की।
8–(4)	**Moderation of Examination Question Papers to Minimize Duplication and Ensure Quality**

Scanned with OKEN Scanner

Preface : -

The purpose of the agenda is to initiate moderation of examination question papers at UPUMS, Saifai, Etawah. The aim is to reduce duplication of questions, enhancing originality, and maintaining fairness in UPUMS theory question papers of the University Examinations.

Background :-

In recent years, instances of repetition of questions in question papers have been observed across different examination sessions. This not only affects the credibility of the evaluation process but also limits the scope of assessing student's true understanding. A systematic moderation process can help address these challenges and strengthen the academic integrity of the institution.

Basis of the Proposal (Rationale) :-

The proposal is based on the need to:

- Ensure originality and diversity in examination questions.
- Reduce duplication across different question papers in the courses.
- Uphold the reputation of UPUMS as a centre of academic excellence.
- Provide students with a fair and comprehensive evaluation of their knowledge.

Mechanism for moderation

It is proposed that a formal moderation mechanism be adopted for all university examinations across all faculties at UPUMS, Saifai, Etawah.

This mechanism will involve:

- All the question papers will be subjected to moderation, to validate its conformity with the patterns and academic regulations in force (as prescribed by NMC, PCI, INC, DCI).
- The moderation will be conducted by the Head of Departments/Dean of the Faculty of all the question papers received before publication and will be conducted by respective Assistant Controller of Examination at Examination Section.
- Each question papers will be carefully scrutinized for novelty, relevance, and non-repetition.
- Any errata or aberrations will be subjected to necessary corrections.
- Review and revision of the question papers will be done prior to finalization.
- A centralized repository of moderated question papers will be maintained.
- Confidentiality and ethical standards must be strictly maintained during moderation by the moderator.

Proposal: - Hence it is proposed that if Academic council agrees may like to approve the agenda.

निर्णयः– विद्या परिषद द्वारा उक्त प्रस्ताव पर सैद्धान्तिक रूप से अनुमोदन प्रदान किया गया।

8–(5) **शैक्षणिक सत्र 2026-27 से बैचलर आफ ऑक्यूपेशनलथेरेपी पाठ्यक्रम प्रारम्भ किये जाने के सम्बन्ध में।**

प्रस्तावनाः–

उ0प्र0 शासन के पत्र संख्या–1663(1)/71–3–07 दिनांक 09.05.2007 द्वारा विश्वविद्यालय पूर्ववर्ती उ0प्र0 ग्रामीण आयुर्विज्ञान एवं अनुसंधान संस्थान, सैफई, इटावा में बैचलर आफ ऑक्यूपेशनलथेरेपी (4 वर्षीय) पाठ्यक्रम 60 सीटों के साथ अनुमति/अनापत्ति प्रदान की गई थी। वर्तमान में National Commission for Allied and Healthcare Professions (NCAHP) (स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अन्तर्गत) द्वारा निर्गत बैचलर आफ ऑक्यूपेशनलथेरेपी पाठ्यक्रम में अवधि 05 वर्ष निर्धारित की गई है। साथ ही उक्त निर्धारित पाठ्यक्रम को सत्र 2026–2027 से लागू किए जाने के निर्देश निर्गत किये गये है। वर्तमान में पैरामेडिकल विज्ञान संकाय मे बैचलर आफ ऑक्यूपेशनलथेरेपी पाठ्यक्रम सत्र 2026–2027 से प्रारम्भ किया जाना है।

पृष्ठभूमिः–

शासन के पत्र संख्या–1663(1)/71–3–07 दिनांक 09.05.2007 द्वारा विश्वविद्यालय पूर्ववर्ती

Scanned with OKEN Scanner

	उ0प्र0 ग्रामीण आयुर्विज्ञान एवं अनुसंधान संस्थान, सैफई, इटावा में बैचलर आफ ऑक्यूपेशनलथेरेपी (4 वर्षीय) पाठ्यक्रम 60 सीटों के साथ प्रारम्भ किये जाने की अनुमति/अनापत्ति एवं NCAHP द्वारा नोटिस संख्या–F.N-1011/14/2025/NCAHP(AHS) दिनांक 15-10-2025 के माध्यम से बैचलर आफ ऑक्यूपेशनलथेरेपी पाठ्यक्रम (05 वर्षीय) शैक्षणिक सत्र 2026–27 से अनिवार्य रूप से लागू किए जाने हेतु निर्देशित किया गया है। **नियम/कृत कार्यवाही/निर्णयः–** शासन के पत्र संख्या–1663(1)/71–3–07 दिनांक 09.05.2007 द्वारा विश्वविद्यालय पूर्ववर्ती उ0प्र0 ग्रामीण आयुर्विज्ञान एवं अनुसंधान संस्थान, सैफई, इटावा में बैचलर आफ ऑक्यूपेशनलथेरेपी (4 वर्षीय) पाठ्यक्रम 60 सीटो के साथ अनुमति/अनापत्ति प्रदान की गई थी। National Commission for Allied and Healthcare Professions (NCAHP) (स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अन्तर्गत) द्वारा निर्गत बैचलर आफ ऑक्यूपेशनलथेरेपी पाठ्यक्रम में अवधि 05 वर्ष निर्धारित की गई है। उक्त के अतिरिक्त वर्तमान में 02 नियमित डिमोंस्ट्रेटर की नियुक्ति अक्टूबर 2025 में कर ली गई तथा प्रोफेसर एवं एसोसिएट प्रोफेसर के पदो पर भर्ती की प्रकिया प्रचलन में है। उक्त को दिनांक 03.12.2025 को विश्वविद्यालय की डीन कमेटी से भी अनुमोदित कराया जा चुका है। **प्रस्ताव का आधारः–** शासन के पत्र संख्या–1663(1)/71–3–07 दिनांक 09.05.2007 द्वारा विश्वविद्यालय पूर्ववर्ती उ0प्र0 ग्रामीण आयुर्विज्ञान एवं अनुसंधान संस्थान, सैफई, इटावा द्वारा 60 सीटो के साथ अनुमति/अनापत्ति प्रदान की गई तथा NCAHP के निर्गत नोटिस संख्या–F.N-1011/14/2025/NCAHP(AHS) दिनांक 15-10-2025 के माध्यम से बैचलर आफ ऑक्यूपेशनलथेरेपी पाठ्यक्रम (05 वर्षीय) शैक्षणिक वर्ष 2026–27 से लागू किये जाने के निर्देश है। **प्रस्तावः–** शासन के पत्र संख्या–1663(1)/71–3–07 दिनांक 09.05.2007 एंव NCAHP द्वारा निर्गत नोटिस संख्या–F.N-1011/14/2025/NCAHP(AHS) दिनांक 15-10-2025 के अनुपालन में विश्वविद्यालय के पैरामेडिकल विज्ञान संकाय में बैचलर आफ ऑक्यूपेशनलथेरेपी (05 वर्षीय) पाठ्यक्रम सत्र 2026–2027 की 60 सीटो हेतु प्रारम्भ किया जाना है। उक्त पाठ्यक्रम प्रारम्भ किये जाने हेतु विश्वविद्यालय की विद्या परिषद एवं उ0प्र0 स्टेट मेडिकल फैकल्टी की अनापत्ति अपेक्षित है। **प्रस्ताव पर अपेक्षित अनुमोदनः–** उक्त प्रस्ताव पर विद्या परिषद द्वारा अनुमोदन प्रदान करना चाहें।
निर्णयः–	विद्या परिषद द्वारा उक्त प्रस्ताव पर सैद्धान्तिक रूप से अनुमोदन प्रदान किया गया।
8–(6)	**एस0जी0पी0जी0आई0एम0एस0, लखनऊ के कार्यालय आदेश सं0 PGI/ER/ACAD/ 1745/ 2016, Date 16 April, 2016 में Guidelines for grant of permission to the faculty members of the Institute to attend various scientific conferences and other assignments in India and abroad दी व्यवस्था को विश्वविद्यालय में लागू किये जाने हेतु–** **प्रस्तावनाः–** एस0जी0पी0जी0आई0एम0एस0, लखनऊ के कार्यालय आदेश सं0 PGI/ER/ACAD/1745/ 2016, Date 16 April, 2016 में Guidelines for grant of permission to the faculty members of the Institute to attend various scientific conferences and other assignments in India and abroad दी व्यवस्था को विश्वविद्यालय में लागू किया जाना है। **पृष्ठभूमिः–** विश्वविद्यालय में कार्यरत चिकित्सा संकाया सदस्य राष्ट्रीय/अन्तर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस/कोर्स/फैलोशिप में प्रतिभाग करने हेतु आवेदन करते है, जिसके क्रम में एस0जी0पी0जी0आई0एम0एस0, लखनऊ के कार्यालय आदेश सं0 PGI/ER/ACAD/1745/ 2016, Date 16 April, 2016 में Guidelines for grant of permission to the faculty members of the Institute to attend various scientific conferences and other assignments in India and abroad दी व्यवस्था को विश्वविद्यालय में लागू किया जाना है। **नियमः–** विधायी अनुभाग–1, उ0प्र0 शासन, लखनऊ की अधिसूचना दिनांक 17.05.2016 की

Scanned with OKEN Scanner

	धारा 48 में व्यवस्थ है कि "विश्वविद्यालय में कार्यरत अधिकारियों एवं कर्मचारियों (शैक्षणिक एवं गैरशैक्षणिक कर्मचारिवृंद) की सेवा शर्तें, योग्यतायें, अनुभव, वेतनमान एवं भत्ते आदि की सुविधायें संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ में कार्यरत अधिकारियों एवं कर्मचारियों (शैक्षणिक एवं गैर–शैक्षणिक कर्मचारिवृंद) के अनुरूप अनुमन्य होगी।" उक्त के क्रम में एस0जी0पी0जी0आई0एम0एस0, लखनऊ के कार्यालय आदेश सं0 PGI/ER/ ACAD/1745/ 2016, Date 16 April, 2016 में Guidelines for grant of permission to the faculty members of the Institute to attend various scientific conferences and other assignments in India and abroad दी व्यवस्था को विश्वविद्यालय में लागू किया जा सकता है। **प्रस्ताव का आधारः–** एस0जी0पी0जी0आई0एम0एस0, लखनऊ के कार्यालय आदेश सं0 PGI/ER/ACAD/1745/ 2016, Date 16 April, 2016 में Guidelines for grant of permission to the faculty members of the Institute to attend various scientific conferences and other assignments in India and abroad दी व्यवस्था को विश्वविद्यालय में लागू किये जाने की आवश्यकता है। **प्रस्ताव पर अपेक्षित अनुमोदनः–** एस0जी0पी0जी0आई0एम0एस0, लखनऊ के कार्यालय आदेश सं0 PGI/ER/ACAD/1745/ 2016, Date 16 April, 2016 में Guidelines for grant of permission to the faculty members of the Institute to attend various scientific conferences and other assignments in India and abroad दी व्यवस्था को विश्वविद्यालय में लागू किये जाने हेतु प्रस्ताव पर विद्या परिषद का अनुमोदन अपेक्षित है।
निर्णयः–	विद्या परिषद द्वारा उक्त प्रस्ताव पर सैद्धान्तिक रूप से अनुमोदन प्रदान किया गया।
	टेबल एजेण्डा
8–(7)	रेडियोथेरेपी विभाग द्वारा डी0एम0 रेडिएशन ऑन्कोलॉजी पाठ्यक्रम प्रारम्भ करने के संबंध में।
निर्णयः–	उक्त बिन्दु पर विद्या परिषद के समक्ष विचार विमर्श किया गया जिसमें विभागाध्यक्ष रेडियेशन ऑन्कोलॉजी को नियमानुसार प्रस्ताव उपलब्ध कराये जाने हेतु निर्देश दिये गये।
8–(7.1)	केन्द्रीय पुस्तकालय में पोस्ट पी0जी0 एवं यू0जी0 विद्यार्थियों के लिए केन्द्रीय पुस्तकालय की समयावधि निर्धारित करने के संबंध में।
निर्णयः–	उक्त बिन्दु पर विद्या परिषद के समक्ष विचार विमर्श किया गया जिसमें डॉ0 पी0 के0 जैन की अध्यक्षता में निम्नवत समिति गठित कर 15 दिवसों में प्रस्ताव उपलबब्ध कराये जाने के निर्देश दिये गयेः– • डॉ0 सुगन्धी शर्मा, असि0 प्रो0 कम्युनिटी मेडिसिन एवं प्रभारी केन्द्रीय पुस्तकालय। • चीफ वार्डन पुरूष छात्रावास (मेडिकल)। • चीफ वार्डन महिला छात्रावास (मेडिकल)।
8–(7.2)	डिजिटल पुस्तकालय (डिजिटल लाइब्रेरी) प्रारम्भ करने के संबंध में।
निर्णयः–	उक्त बिन्दु पर विद्या परिषद के समक्ष विचार विमर्श किया गया जिसमें डॉ0 सुगन्धी शर्मा, असि0 प्रो0 कम्युनिटी मेडिसिन एवं प्रभारी केन्द्रीय पुस्तकालय को निर्देशित किया गया कि वह इस संबंध में पुस्तकालय एवं छात्रावासों के रीडिंग रूम में डिजिटल लाइब्रेरी हेतु एक प्रस्ताव तैयार कर प्रस्तुत करें।
8–(7.3)	फार्मेसी संकाय के संकाय सदस्यों की पदोन्नति के संबंध में। **प्रस्तावनाः–** फार्मेसी संकाय के 13 संकाय सदस्य जो कि दिसम्बर, 2015 से कार्यरत हैं की पदोन्नति उनकी योगदान तिथि से आज दिनांक तक लम्बित है। विश्वविद्यालय के फार्मेसी संकाय में कार्यरत सभी संकाय सदस्यों की पदोन्नति यू0जी0सी0 द्वारा निर्धारित प्रकिया के अनुसार किये जाने के लिये शासनादेश जारी किये जाने के संबंध में प्रकरण शासन को संदर्भित किए जाने हेतु मा0 कार्य परिषद द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया। कार्य परिषद के अनुमोदन के क्रम में शासन स्तर से अपेक्षित शासनादेश अबतक प्राप्त न होने के कारण फार्मेसी संकाय में कार्यरत संकाय सदस्यों को पदोन्नति प्रदान नहीं हो पा रही है।

Scanned with OKEN Scanner

	पृष्ठभूमि :–विश्वविद्यालय की कार्य परिषद की ग्याहरवीं बैठक दिनांक 12.09.2023 को आयोजित की गयी थी। उक्त बैठक में निम्नवत निर्णय लिया गया था।

एजेंडा बिन्दु	कार्य परिषद् का निर्णय
एजेंडा बिन्दु 11–26 विश्वविद्यालय के फार्मेसी संकाय में कार्यरत सभी संकाय सदस्यों की पदोन्नति पी0सी0आई0 के दिशा निर्देशानुसार कैरियर एडवांसमेंट स्कीम के तहत यू0जी0सी0 मानकानुसार किए जाने के संबंध में।	विश्वविद्यालय के फार्मेसी संकाय में कार्यरत सभी संकाय सदस्यों की पदोन्नति यू0जी0सी0 द्वारा निर्धारित प्रकिया के अनुसार किये जाने के लिये शासनादेश जारी किये जाने के संबंध में प्रकरण शासन को संदर्भित किए जाने हेतु मा0 कार्य परिषद द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया।

उपरोक्त बिंदु पर कार्य परिषद के निर्णय पर अभी तक कार्यवाही पूर्ण नहीं हुयी है एवं शासन स्तर पर अपेक्षित शासनादेश लम्बित है। जिसके कारण समस्त संकाय सदस्यों की पदोन्नति दिसम्बर, 2015 से लम्बित है।

नियम/कृत कार्यवाही/निष्कर्ष/निर्णयः–विश्वविद्यालय की कार्य परिषद की ग्याहरवीं बैठक दिनांक 12.09.2023 को विश्वविद्यालय के फार्मेसी संकाय में कार्यरत सभी संकाय सदस्यों की पदोन्नति यू0जी0सी0 द्वारा निर्धारित प्रकिया के अनुसार किये जाने के लिये शासनादेश जारी किये जाने के संबंध में प्रकरण शासन को संदर्भित किए जाने हेतु मा0 कार्य परिषद द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया। (संलग्नक 01)

प्रस्ताव का आधारः–विश्वविद्यालय की कार्य परिषद की ग्याहरवीं बैठक दिनांक 12.09.2023 को विश्वविद्यालय के फार्मेसी संकाय में कार्यरत सभी संकाय सदस्यों की पदोन्नति यू0जी0सी0 द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार किये जाने के लिये शासनादेश जारी किये जाने के संबंध में प्रकरण शासन को संदर्भित किए जाने हेतु मा0 कार्य परिषद द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया।

प्रस्तावः–विश्वविद्यालय के फार्मेसी संकाय में कार्यरत सभी संकाय सदस्यों की पदोन्नति यू0जी0सी0 द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार किये जाने के लिये शासनादेश जारी किये जाने के सम्बन्ध में प्रकरण शासन को संदर्भित किए जाने हेतु मा0 कार्य परिषद द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया। शासन स्तर से अपेक्षित शासनादेश प्राप्त न होने के कारण फार्मेसी संकाय में कार्यरत संकाय सदस्यों को पी0सी0आई0 के दिशा निर्देशानुसार कैरियर एडवांसमेंट स्कीम के तहत यू0जी0सी0 मानकानुसार पदोन्नति बिना किसी वित्तीय लाभ के प्रदान की जा सकती है। पदोन्नति के वित्तीय लाभ शासनादेश प्राप्त होने के उपरान्त प्रदान किये जा सकते हैं।

उपरोक्त प्रस्ताव पर फार्मेसी संकाय में कार्यरत 02 एसोसिएट प्रोफेसर डॉ0 प्रवीण कुमार एवं डॉ0 योगेश चन्द यादव द्वारा सहमति पत्र दिया जा चुका है, जो कि संलग्न है। अतः फार्मेसी संकाय में कार्यरत 02 एसोसिएट प्रोफेसर डॉ0 प्रवीण कुमार एवं डॉ0 योगेश चन्द यादव को मानकानुसार प्रोफेसर पद पर पदोन्नति बिना किसी वित्तीय लाभ के प्रदान की जा सकती है।

प्रस्ताव पर अपेक्षित अनुमोदनः–उक्त प्रस्ताव पर विद्या परिषद द्वारा अनुमोदन प्रदान करना चाहें।

निर्णयः–	उक्त बिन्दु पर विद्या परिषद के समक्ष विचार विमर्श किया गया जिसमें प्रस्तुत प्रस्ताव पर असहमति व्यक्त की गई तथा विद्या परिषद द्वारा निर्देशित किया गया कि **यदि फार्मेसी संकाय में कार्यरत समस्त संकाय सदस्य** बिना किसी वेतन वृद्धि की पदोन्नति के लिए अपनी लिखित सहमति प्रदान करते हैं तो प्रस्ताव पर विचार करते हुए शासन/फार्मेसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया को प्रस्ताव अग्रसारित किया जा सकता है।

बैठक विद्या परिषद के सदस्यों के प्रति आभार व्यक्त करते हुए सम्पन्न हुई।

(डॉ0 आदेश कुमार)
संकायाध्यक्ष चिकित्सा संकाय
एवं संयोजक विद्या परिषद,
उ0प्र0 आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय,
सैफई, इटावा

(डॉ0 अजय सिंह)
कुलपति
एवं अध्यक्ष विद्या परिषद,
उ0प्र0 आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय,
सैफई, इटावा

Scanned with OKEN Scanner

विद्या परिषद की आठवीं बैठक दिनांक 05.12.2025

Sl.No.	Name	Designation	Department	Mobile No. & Email ID	Signature
01	Dr. Kailash Dutt	Prof. & Head	Radiation Oncology	9879346607 [illegible]@gmail.com	[signature]
02	Dr. Asha Pathak	Professor	Pharmacology	9450421779 drasha_pathak@yahoo.co.in	Asha
03	Dr. Aditya Shrivastava	Officer Incharge	Blood bank	9536974538 bloodbank saifai2012@gmail.com	[signature]
04	Dr. Mubashir Ali Khan	HOD Urology	Urology	8006918015	[signature]
05	Dr. Usha Shukla	HOD Anaes	Anaes.	9412201915	[signature]
06	Dr. JP Mathuria	Dean. FPS		7817863422	[signature]
07	Dr. Atul Kr. Singh	Dean Dental		9452074514	ASingh
08	Dr. Amit Kumar Singh	Prof. + Head	Physiology	9412205021	[signature]
09	Dr. Anamika Singh	Professor	Physiology	9458640892	[signature]
10	Dr. Rajesh Kumar Verma	Professor & Head	Microbiology	8477973359	[signature]

विद्या परिषद की आठवीं बैठक दिनांक : 05.12.2025

Sl. No.	Name	Designation	Department	Mobile No. & Email ID	Signature
11	Dr. Sanjai Singh ✓	Assist. Professor	PMR	9450568564 [illegible]	[signature]
12	Dr Alok Dixit ✓	Professor	Pharmacology	9639523852 alkdxt@yahoo.co.in	[signature]
13	Dr. Bhupendra Singh ✓	Offtg Associate Dean Para	Para / MLT	9897736479	[signature]
14	Dr. Vidya Ram ✓	~~Community Medicine~~ Professor	Community Medicine	969 0 16629	[signature]
15	Dr Puspendra Singh ✓	HOD - Surg	Surg-	6394765 9933	[signature]
16	Dr. Sushil Kumar Shukla ✓	Professor	Community Medicine	7983161093 drsushil[illegible]@gmail.com	[signature]
17	Dr. A. K. Mishra ✓	Prof. & HOD	Psychiatry	9412304656 upumspsychiatry@gmail.com	[signature]
18	Dr. Adesh Kumar [illegible] ✓	Dean (Faculty of Medicine)	Faculty of Medicine	9045473801	[signature]
19	Dr. Dinesh Kumar ✓	Prof & Head	Pediatrics	8475905163 drdineshk74@gmail.com	[signature]
20	Dr. Survesh kr. Gupta. ✓	Associate Professor	Pediatric Surgery	7355479269 surveshkg@gmail.com	[signature]

Scanned with OKEN Scanner

विद्या परिषद की आठवीं बैठक दिनांक 05.12.2025

Sl. No.	Name	Designation	Department	Mobile No. & Email ID	Signature
21	Dr. Amit Singh ✓	Professor	Microbiology	9458661459 [illegible]	[signature]
22	Dr. Sandeep Kumar ✓	Professor	Comm. Med.	9451268040 [illegible]	[signature]
23	Dr. Kirti Jaiswal ✓	Professor	Physiology	7906850537	[signature]
24	Dr Chandra Veer Singh ✓	Professor	Pharmacology	9927791470	[signature]
25	Dr. Sugandhi Sharma ✓	Asstt. Prof., Incharge Library	Community Medicine	9097740325	[signature]
26	Dr. [illegible] ✓	[illegible]	Gen. Med.	9756224765	[signature]
27	Dr Jitendra Chauhan ✓	Professor & Head	ENT	9997634222	[signature]
28	Dr Sunil Kumar ✓	Prof & Head	Ortho	9870891710	[signature]
29	Preeti Srivastava	Officiating CAO	—	9058430277	[signature] 05/12/25
30	Dr Sanjeev Kumar Singh ✓	Professor & HOD Path (Acting)	Pathology	8750667607 drsanjeev.rml@gmail.com	[signature]

Scanned with OKEN Scanner

विद्या परिषद की आठवीं बैठक दिनांक 05.12.2025

Sl. No.	Name	Designation	Department	Mobile No. & Email ID	Signature
31	Dr Atul Saxena ✓	Associate Professor	Plastic Surgery	8279756375 atulsaxena007@gmail.com	[signature]
32	Dr. Sweta S. Kumar ✓	Proff (JG) & Head.	Dermatology	9997800178 medicosweta-08@gmail.com	[signature]
33	Dr Vishal R Jamja ✓	Professor Jr.	Anatomy	9685355774 vishaljamja1@gmail.com	[signature]
34	Dr. Amit Kr. Singh ✓	Prof. Jr Gr.	Anaesthesia	7351768859 dramit2212@gmail.com	[signature]
35	Dr Rajesh Kr Thakur ✓	Prof. Head Periodontology		9997060666 dr.rkthakurperio@gmail.com	[signature]
36	Dr. Bipin Kumar Yadav ✓	Professor - Periodontology.		8449619482 drbipinyadav@rediffmail.com	[signature]
37	Dr Subhash Chandra ✓	Ass. Prof	Cardiology	9984027849 dr.subhchandra@gmail.com	[signature]
38	Dr. Ravi Ranjan ✓	Prof (Hon)	Ophthal.	8191050530 dr.raviranjan64@gmail.com	[signature]
39	DR. ADIL RAHMAN ✓	Head & Professor	Biochemistry	९४१०७४१४२९	[signature]
40	DR SAJAY KUMAR GUPTA ✓	Assit Prof	Neurosurgery	9924998598 sajay.gupta@yahoo.com	[signature]
41	Dr Manoj Kumar ✓	Prof & HOD	Medicine	9457879769, mkemarrims@gmail.com	[signature]

Scanned with OKEN Scanner

विद्या परिषद की आठवीं बैठक दिनांक 05.12.2025

Sl. No.	Name	Designation	Department	Mobile & Email ID	Signature
42	Dr Rolpana ✓	Professor	O.BG	7830576275	[signature]
43	Dr Granth Kumar ✓	Prof	Medicine	8191038215	[signature]
44	Dr Naresh Pal Singh ✓	Prof	Comm. Med.	9458641119	[signature]
45	Mr Senthil N ✓	Asso Prof	Faculty of Nsg	7088000698	[signature]
46	Prof. Biji Biju ✓	Dean	FON	8057417116	[signature]
47	Dr. Praveen Kumar ✓	Dean, Faculty of Pharmacy	FOP (Pharmacy)	9897112288	[signature]
48	Dr Reena Sharma ✓	Asso (Dean) Faculty of Medicine	Faculty of Medicine	9891414352	[signature]
49	Dr Savita Agarwal ✓	Officiating HOD Pathology - AI Research Cell	Pathology	8449508717	[signature]
50	Dr. Amit Singh ✓	Prof & Head CVTS, Med Superintendent	CVTS	9917550653	[signature]
51	Dr S.P. Singh ✓	Prof & Head (General Surgery) & CMS	General Surgery	9457879726	[signature]

Scanned with OKEN Scanner

विद्या परिषद की आठवीं बैठक दिनांक 05.12.2025

Sr. No.	Name	Designation	Department	Mobile No & Email ID	Signature
52	Dr Ramakant Yadav	HOD Neurology + Pro-VC	Neurology	9415181190	[signature]
53					
54					
55					
56					
57					
58					
59					
60					
61					

Scanned with OKEN Scanner